न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –19/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00184

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. लटूरलाल आत्मज बाला, जाति जाट, निवासी ग्राम नगपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–

1/1 कन्हैयालाल आत्म्ज स्व0 लटूरलाल

1/2 शंकरलाल आत्मज स्व0 लटूरलाल

1/3 रतनबाई पुत्री स्व0 लटूरलाल

1/4 नन्दूबाई पुत्री स्व0 लटूरलाल

1/5 विमला पुत्री स्व0 लटूरलाल

जाति जाट निवासीगण ग्राम नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2. जीतमल आत्मज रामफूल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नगपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. संदीप आत्मज स्व0 श्री रामप्रसाद जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नगपुरा तहसील लाडपुरा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक अप्रार्थी 1 लगायत 5
3. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2 से 3

निर्णय

दिनांकः–25/03/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी लटूर पुत्र बाला जाति जाट निवासी नगपुरा को ग्राम नगरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 0.23 हे0, किस्म नहरी दोयम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है । अप्रार्थी द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 01.6.2004 को सम्पादित कर अप्रार्थी द्वारा भूमि का विक्रय 60,000/– में जीतमल, रामप्रसाद पुत्र रामफूल जाति गुर्जर निवासी नगपुरा को कर दिया गया तथा इकरार किया गया कि उक्त गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी में दर्ज हो जाने पर उक्त भूमि जो कि रास्ते के रूप में है की रजिस्ट्री वह केतागण के नाम करवा देगा । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा गैर खातेदारी भूमि का विक्रय किया गया है जो आवंटन नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहित प्रावधानों का उल्लंघन होने से अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

जिला कलक्टर कोटा

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर का वकालतनामा पेश हुआ । प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु जीतमल, रामप्रसाद पुत्र रामफूल जाति गुर्जर ने आदेश–1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी नं0 2 व 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया । प्रार्थी द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम नगरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 44 रकवा 0.23 हे0, किस्म नहरी दोयम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है । अप्रार्थी द्वारा एक इकरारनामा दिनांक 01.6.2004 को सम्पादित कर अप्रार्थी द्वारा भूमि का विक्रय 60,000/– में जीतमल, रामप्रसाद पुत्र रामफूल जाति गुर्जर निवासी नगपुरा को बेचान कर दिया गया तथा इकरार किया गया कि उक्त गैर खातेदारी भूमि के खातेदारी में दर्ज हो जाने पर उक्त भूमि जो कि रास्ते के रूप में है की रजिस्ट्री वह केतागण के नाम करवा देगा । चूंकि गैर खातेदार द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है जो कि आवंटन नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहित प्रावधानों का उल्लंघन है । वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा लिखित बहस में जो तथ्य बताये है कि उक्त भूमि अप्रार्थी लटूर के पिता बाला को न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के द्वारा मिसल नम्बर 357 दिनांक 27.8.1965 बाला बनाम सरकार जरिए तहसीलदार में पारित निर्णय दिनांक 3.10.1966 के निर्णय से खसरा नम्बर 72/124 की भूमि में से 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्राप्त होना बताया है इसके अलावा यह भी कथन किया है कि यह भूमि उन्हें उपनिवेशन विभाग द्वारा अप्रार्थी लटूर के पिता बाला पुत्र नारायण जाट का गत खसरा नम्बर 72/124 हाल खसरा नम्बर 44 पर सन 1960 से पूर्व से कब्जा होने से पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर बाला पुत्र नारायण को भूमि मिसल नम्बर 53/1961 सरकार बनाम बाला पुत्र नारायण को भूमि उपनिवेशन विभाग सर्किल कैथून तहसील लाडपुरा द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत दिनांक 1.2.1962 को आवंटित होना एवं आवंटन के 10 वर्ष पश्चात 1973 को खातेदारी अधिकार के आदेश होना अंकित किया है । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि यदि मान भी लिया जाए की यह भूमि उन्हें न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 3.10. 1966 से प्राप्त हुई है तो अब तक निर्णय की पालना क्यों नहीं कराई चूंकि अब नियमानुसार 12 वर्ष की समयावधि व्यतीत हो चुकी है ऐसी स्थिति में निर्णय की पालना संभव नहीं है तथा यही नियम आवंटन पर भी लागू होता है, जब खातेदारी का आदेश 1973 में हो चुका था तो रेकार्ड में अमल क्यों नहीं कराया उसे भी 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है अब उक्त निर्णयों की पालना संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में गैर खातेदारी की दर्ज भूमि का बैचान अवैध होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त आवंटन को निरस्त कर ग्राम नगरपुरा की आराजी खसरा नम्बर 44 रकबा 0.23 हे0 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी 1/1 से 1/5 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरकार जरिये तहसीलदार की ओर से एक प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि खसरा नम्बर 44 रकवा 0.23 हे0 किस्म नहरी दोयम अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसके सम्बन्ध में एक इकरारनामा अप्रार्थी द्वारा जीतमल रामप्रसाद के नाम कर दिया है और यह इकरारनामा रास्ते के रूप में दी गई भूमि के सम्बन्ध में किया गया है और इस प्रकार रास्ते की भूमि के लिए 10 फीट भूमि के बेचान का आधार बनाकर कार्यवाही नियम 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन के तहत प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं है एवं ना ही कानूनन चलने योग्य है । चूंकि प्रथम तो लटूर जी ने ऐसा कोई इकरारनामा रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में जीतमल, रामप्रसाद के पक्ष में नहीं किया । वास्तविकता यह है कि जीतमल, रामप्रसाद अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 43 व 44 में रास्ते की मांग कर रहे है और इस सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जिसके सम्बन्ध में वाद की प्रति जवाब के साथ अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है । इससे स्पष्ट है कि दुर्भावना के तहत इकरारनामा रास्ते का बताकर तहसीलदार लाडपुरा से उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करवाई गई है जो दुर्भावना होने से खारिज किये जाने योग्य है । वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 44 की रकबा 0.23 हे0 भूमि को अप्रार्थी लटूर को आवंटित किया जाना बताया जा रहा है और तदनुसार गैर खतेदारी में दर्ज किया जाना बताया गया है । जबकि वास्तविकता में खसरा नम्बर 44 की भूमि के सेटलमेंट के पूर्व गत खसरा नम्बर 72/124 रहे है जो संलग्न मिलान

ला कलक्टर
कोटा

क्षैत्रफल संवत 2016 से 2024 से स्पष्ट है । उक्त भूमि अप्रार्थी लटूर के पिता बाला आत्मज नारायण जाति जाट निवासी नगपुरा तहसील लाडपुरा को न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के द्वारा मिसल नम्बर 357 दिनांक 27.8.1965 बाला बनाम सरकार जरिए तहसीलदार में पारित निर्णय दिनांक 3.10.1966 के निर्णय से खसरा नम्बर 72/124 की भूमि में से 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है । चूंकि अप्रार्थी लटूर के पिता बाला की खातेदारी की भूमि गत सेटलमेंट 2016–2024 के पूर्व खाता संख्या 14 की 4 किता की आराजी 37 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम नगरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित रही है । सेटलमेंट के बाद अवैध गेर कानूनी, गलत तरीके से बालाजी के खाते में गत रकबे के मुकाबले बाद सेटलमेंट कम रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा दर्ज कर दिया इस प्रकार सेटलमेंट के पश्चात 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि कम रही ऐसी स्थिति में बालाजी द्वारा एक वाद धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान परगना अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 357/1965 पर दर्ज हुआ । इस बाद में सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3.10.1966 को निर्णय पारित करते हुए यह माना कि वादी के खाते में सेटलमेंट के पूर्व 37 बीघा 2 बिस्वा भूमि थी । सेटलमेंट के पश्चात 32 बीघा 18 बिस्वा भूमि रह गई । इस प्रकार वादी का वाद में केवल 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी भूमि कम होने का क्लेम सही पाया जाता है और वादी बाला को नये खसरा नम्बर 72/124 की भूमि जो सिवायचक है और पटवारी के बयान के अनुसार वादी का पुराना कब्जा होना पाया गया है ऐसी स्थिति में वादी बाला को 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 72/124 में से वादी के खाते दर्ज कराने का कानूनन हकदार होना मानकर खातेदारी में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया । और खसरा नम्बर 72/124 के हाल सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 44 बने है । जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किए जाने चाहिए थे । इस प्रकार उक्त निर्णय की पालना में अप्रार्थी के पिता बाला को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 44 की रकबा 0.23 हे0 भूमि बतौर खातेदार प्राप्त हुई है । जिसके सम्बन्ध में आवंटन सम्बन्धी प्रावधान नियम 14(4) आवंटन निरस्तीकरण के प्रभावी नहीं होते है । चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी को खातेदारी की भूमि के बदले प्रदान की गई है ऐसी स्थिति में कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. अप्रार्थी लटूर के पिता बाला पुत्र नारायण जाट का गत खसरा नम्बर 72/124 हाल खसरा नम्बर 44 पर सन 1960 से पूर्व से कब्जा चला आ रहा था ओर पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर बाला पुत्र नारायण को भूमि मिसल नम्बर 53/1961 सरकार बनाम बाला पुत्र नारायण को भूमि उपनिवेशन विभाग सर्किल कैथून तहसील लाडपुरा द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत दिनांक 1.2.1962 को आवंटित की गई और आवंटन के बाद संपूर्ण राशि दिनांक 16.9.1961 को जमा करवा दी गई । इसके बाद सम्भागीय आयुक्त की स्वीकृति हेतु भिजवाई गई जिस पर दिनांक 1.2.1962 को संचालक उपनिवेशन चम्बल सिंचाई योजना कोटा द्वारा मिसल का अवलोकन कर सिफारिश आराजी खसरा नम्बर 72/142 सहित बाला पुत्र नारायण को 1630/– में आवंटन स्वीकृति प्रदान की गई । उसके बाद संपूर्ण लगान की राशि व आवंटन की राशि जमा करवाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई । बाद आवंटन 10 वर्ष 11.8.1972 को पत्रावली गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत हुई जिस पर तहसीलदार उपनिवेशन चम्बल सिंचाई परियोजना तहसील लाडपुरा द्वारा गैर खातेदारी में 10 वर्ष हो जाने के पश्चात निर्धारित अवधि के तहत व रकम जमा हो जाना मानकर खातेदारी की स्वीकृति जारी कर पत्रावली एस डी ओ कोटा को भिजवा दी गई । इसी दौरान परगना अधिकारी कोटा का निर्णय जो कि मिसल नम्बर 357/1965 में बाला बनाम सरकार के मामले में पारित किया गया था के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और इस प्रकार दिनांक 19.9.1973 को आदेश पारित किया गया कि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की जावें । जिससे स्पष्ट है कि लटूर को सन 1973 में ही सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए गए थे और इस सम्बन्ध में सनद भी लटूर के पक्ष में जारी कर दी गई थी परंतु खातेदारी दिए जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश का अमल नहीं हो सका । इन तथ्य परिस्थितियों में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 44 वाके नगपुरा के सम्बन्ध में 14 (4) कृषि भूमि आवंटन

ला कलक्टर
कोटा

अधिनियम के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मडल अजमेर द्वारा अपने द्वारा पारित न्यायिक निर्णय 2024(2) आरआरटी पेज नम्बर 1321 में स्पष्ट सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि यदि रेग्यूलर वाद लंबित हो तो उसके विचाराधीन रहते हुए नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 18 के तहत प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा खतेदारी अधिकार सन 1973 में प्रदान किए जा चुके है और इस सम्बन्ध में धारा 18 में प्रावधान है कि उपखण्ड अधिकारी आवंटन के 10 साल बाद खातेदारी प्रदान कर सकते है । धारा 18 के तहत खातेदारी प्रदान कर दी गई है । माननीय राजसव मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक निर्णय 2024 (2) आरआरटी पेज नम्बर 1371 व 2023(2) आरआरटी पेज 1218 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा पर आवंटन होने के बाद खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता और अप्रार्थी बाला को वर्ष 1973 में सक्षम न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है । इस आधार पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है । अप्रार्थी ने या उसके पिता ने भूमि का बेचान नहीं किया है ना ही बेचान का कोई अनुबंध किया है जिस इकरारनामें का बहाना बनाया जा रहा है वह अवैध है प्रथम तो उक्त इकरारनामा प्रोपर स्टाम्प पर नहीं है एवं ना ही रजिस्टर्ड है । ऐसी स्थिति में उक्त इकरारनामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं ऐसे अवैध इकरारनामा के आधार पर कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है । इकरारनामा का अवलोकन भी किया जाए तो इस इकरारनामें के लटूर जी द्वारा आलेखित होना बताया है और पूरब से पश्चिम 10 फीट व उत्तर से दक्षिण 525 फीट 60,000/– में रास्ते के लिए बेचान किया जाना लिखा गया है और यह रास्ता खसरा नम्बर 43 व 44 में देना बताया जा रहा है जिस अनुसार भूमि बेचान करने का आशय होना प्रमाणित नहीं है । उक्त इकरारनामें में संपूर्ण भूमि का बेचान होना अंकित नहीं है केवल 10 फीट चौडाई में रास्ते के लिए भूमि देना लिखा गया है जिससे आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता है । अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां खसरा नम्बर 44 की रकबा 0.23 हे0 भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वाद अंतर्गत धारा 89,92 आरटीएक्ट के तहत पेश किया हुआ है जो वाद संख्या 90/2018 पर कन्हैयालाल बनाम जीतमल के नाम से दर्ज है । इस वाद में भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है और इसी दुर्भावित उद्देश्य के तहत तहसील लाडपुरा से मिलकर उक्त कार्यवाही श्रीमान के यहां रंजिशवश प्रस्तुत करवाई गई है । उक्त भूमि पर रास्ता प्राप्त करने के लिए जीतमल रामप्रसाद ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के हयां जीतमल बनाम कन्हैयालाल के नाम से अंतर्गत धारा 188,92 आर टी एक्ट के तहत 2019 में प्रस्तुत किया है जो लंबित चला अर रहा है एवं इसके बाद एक प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर टी एक्ट के तहत पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया जो लंबित चला आ रहा है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन निरस्तीकरण विशेष हर्जे के साथ खारिज किए जाने की कृपा करें एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जावे कि वह निर्णय दिनांक 3.10.1966 व 19.9.1973 तहसीलदार उपनिवेशन चम्बल सिंचाई योजना लाडपुरा कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करें ।

6. वकील अप्रार्थी नं0 2 व 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 लटूर को आवंटित भूमि है, उक्त भूमि में से लटूर द्वारा उन्हें रास्ते के उपयोग के लिए बेचान कर दिया है तथा खातेदारी मिलने के बाद रजिस्ट्री कराने का इकरार किया गया था, किन्तु अब अप्रार्थी नं0 1 रास्ता देने में आपत्ति कर रहे है । इस प्रकार गैर खातेदारी की भूमि का बैचान होने व आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

7. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि

कलक्टर कोटा

अप्रार्थी लटूर द्वारा गैर खातेदारी की भूमि का इकरारनामा दिनांक 01.06.2004 से 60,000/– में जीतमल, रामप्रसाद पुत्र रामफूल जाति गुर्जर निवासी नगपुरा को विक्रय कर दिया गया है, जो कि आवंटन नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की विहित प्रावधानों का उल्लंघन होने से आवंटन निरस्त कर ग्राम नगरपुरा की आराजी खसरा नं0 44 रकवा 0.23 हे0 को सिवायचक दर्ज करने हेतु निवेदन किया है । वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 का अपने जवाव एवं वहस में मुख्य कथन है कि खसरा नं0 44 की भूमि मिलान क्षैत्रफल संवत 2016 से 2024 अनुसार सेटलमेंट के पूर्व गत खसरा नम्वर 72/124 रहे है । उक्त भूमि अप्रार्थी लटूर के पिता वाला आत्मज नारायण जाति जाट निवासी नगपुरा तहसील लाडपुरा को न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के द्वारा मिसल नम्वर 357 दिनांक 27.8.1965 वाला वनाम सरकार जरिए तहसीलदार में पारित निर्णय दिनांक 3.10.1966 के निर्णय से खसरा नम्वर 72/124 की भूमि में से 4 वीघा 3 विस्वा भूमि प्राप्त हुई है । साथ ही यह भी तथ्य अंकित किया है कि लटूर के पिता वाला पुत्र नारायण जाट का गत खसरा नम्वर 72/124 हाल खसरा नम्वर 44 पर सन 1960 से पूर्व से कब्जा चला आ रहा था ओर पूर्व कब्जे काश्त के आधार पर वाला पुत्र नारायण को भूमि मिसल नम्वर 53/1961 सरकार वनाम वाला पुत्र नारायण को खसरानम्वर 72/142 की 6 वीघा 6 विस्वा भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत दिनांक 1.2.1962 को आवंटित की जाना और आवंटन के वाद संपूर्ण राशि दिनांक 16.9.1961 को जमा होने पर आवंटन को 10 वर्ष होने से दिनांक 11.8.1972 को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के आदेश करने का कथन किया है । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी वहस में यह भी तथ्य अंकित किये है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्वन्ध में अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां खसरा नम्वर 44 की रकवा 0.23 हे0 भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वाद अंतर्गत धारा 89,92 आरटीएक्ट के तहत पेश किया हुआ है जो वाद संख्या 90/2018 पर कन्हैयालाल वनाम जीतमल के नाम से दर्ज है । उक्त भूमि पर रास्ता प्राप्त करने के लिए जीतमल रामप्रसाद ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां जीतमल वनाम कन्हैयालाल के नाम से अंतर्गत धारा 188,92 आर टी एक्ट के तहत 2019 में प्रस्तुत किया है जो लंवित चला अर रहा है एवं इसके बाद एक प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर टी एक्ट के तहत पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत किया गया जो लंवित होना वताया है ।

8. उभयपक्ष के प्रस्तुत तर्क अनुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम नगरपुरा के खसरा नम्वर 72/142 की 6 वीघा 6 विस्वा भूमि दिनांक 1.2.1962 को उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटन होना जाहिर आया है तथा दखल भी दिनांक 1.4.1963 को खसरा नम्वर 72/142 पर ही दिया जाना पत्रावली में संलग्न दखल नामें से जाहिर हो रहा है तथा खातेदारी दिये जाने के आदेश उपनिवेशन विभाग की पत्रावली पर हो रहे है किन्तु रेकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होने से आवंटित भूमि वर्तमान में भी गैर खातेदारी में ही दर्ज रेकार्ड है तथा अव 12 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है ऐसी स्थिति में अव उक्त खातेदारी के आदेश का अमल किया जाना संभव नहीं है । आवंटित भूमि वर्तमान में भी गैर खातेदारी दर्ज होने एवं भूमि का वैचान किया जाने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

9. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नगपुरा की आराजी खसरा नम्वर 44 की रकवा 0.23 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जे राज लेवें ।

10. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा